सारलेख

उत्तर -I – यह मामला चिकित्सा उपस्करों यथा ऑक्सीजन, कॉन्सेन्ट्रेटर एवं जेट नेबुलाइजर की लेखापरीक्षा में स्वीकार्यता से संबंधित है । मरीज, जो लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया में सेवारत वरिष्ठ लेखा परीक्षक की पत्नी है, को चिकित्सक द्वारा इंटेस्टाइनल लंग बिमारी के उपचार के लिए इनके नियमित उपयोग, यहाँ तक की घर पर भी उपयोग की सलाह दी गई थी । लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया ने दिनांक 25.10.2005 को इस मामले को स्थानीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय को प्रेषित करते हुए पूछा कि यह लेखापरीक्षा में स्वीकार्य है अथवा नहीं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय ने इसे आगे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया ।

लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया से उपर्युक्त जानकारी के बाद मुख्य वित्तीय सलाहकार (निर्माणी) ने स्थानीय के.स.स्वा.यो. से मामले की स्थिति की जानकारी मांगी । मुख्य वित्तीय सलाहकार(निर्माणी) ने दावे के नियमितीकरण के लिए के.स.स्वा.यो. के निर्णय का इंतजार करने का आदेश लेखा कार्यालय को दिया ।

इसके बाद के.स.स्वा.यो. कार्यालय ने अपने मुख्यालय से प्राप्त निर्णय की जानकारी मुख्य वित्तीय सलाहकार(निर्माणी) को अपने दिनांक 30.11.05 के पत्रांक 6-8/05-स्थापना/के.स.स्वा.यो./जब. के द्वारा दी । तदनुसार उन्होंने सूचित किया कि विशेषज्ञ की संस्तुति पर 5500 रुपये की वार्षिक प्रतिभूति जमा करने पर बी. टाइप(1.5) ऑक्सीजन सिलिंडर की सुविधा स्वीकार्य है तथा 80 रुपये में इस सिलिंडर को पुनः भरने की अनुमति होगी । चिकित्सा दावा पर के.स.स्वा.यो. कार्यालय में प्रतिहस्ताक्षर के बाद तदनुसार स्वीकार करने के लिए उसने इस निर्णय की सूचना लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया को उनके दिनांक 25.10.2005 के संदर्भ में दी ।

शीर्षक : चिकित्सा उपस्करों की स्वीकार्यता से संबंधित स्पष्टीकरण

बिन्दुओं का सार

लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया में सेवारत एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने अपनी पत्नी का इलाज कर रहे चिकित्सक की सलाह के अनुसार ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर एवं जेट नेबुलाइजर के प्रापण की अनुमति के लिए आवेदन दिया ।

2. लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया ने इस मामले को दिनांक 25.10.05 को स्थानीय के.स.स्वा.यो. को लेखापरीक्षा में इस उपस्कर की स्वीकार्यता से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए भेजा।
3. के.स.स्वा.यो. ने इसे आगे दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय को भेजा ।
4. मुख्य वित्तीय सलाहकार(निर्माणी) ने भी स्थानीय के.स.स्वा.यो. से जानकारी लेकर इसका अनुवीक्षण किया ।
5. अन्ततः स्थानीय के.स.स्वा.यो. ने अपने मुख्यालय से प्राप्त निर्णय की जानकारी अपने दिनांक 30.11.05 के पत्र द्वारा लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, खमरिया को पत्र की प्रति सहित दी ।
6. स्पष्टीकरण के अनुसार 5500 रुपये की वार्षिक प्रतिभूति जमा करने पर उपस्कर स्वीकार्य था तथा 80 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से भुगतान करने पर इसे पुनः भरने की अनुमति थी ।
7. के.स.स्वा.यो. कार्यालय ने यह सलाह भी दी कि चिकित्सा विपत्रों को लेखापरीक्षा में स्वीकार करने से पूर्व उनपर उनका प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा ।

प्रश्नपत्र-VIII (अप्रैल, 2009)

उत्तर -2 – रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद

संख्या - .... दिनांक - ....

आदेश

स्वर्गीय श्री X इस संगठन में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के तौर पर सेवारत थे । दिनांक 2.2.02 को सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई । मृतक श्री X के पुत्र श्री Y ने अपने दिनांक 30.04.02 के आवेदन में अनुकम्पा के आधार पर विभाग में नियुक्ति का अनुरोध किया था ।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए दिनांक 30.04.02 के उनके आवेदन द्वारा प्रेषित अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारियों की समिति की राय तथा इस विषयक सरकार के आदेशों के आलोक में विचार किया गया ।

अपने परिवार को जीविकोपार्जन के बिना किसी स्त्रोत के छोड़कर सेवाकाल में मृत किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का उद्देश्य संबंधित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तत्काल बाद उसके परिवार को वित्तीय अभाव एवं दरिद्रता से छुटकारा देना है । तथापि यह ध्यान में आया है कि विधवा प्रतिमाह 2175 रुपये (सामान्य दर)/3550 रुपये (बढ़े हुए दर से) पारिवारिक पेंशन+उनपर महंगाई भत्ता प्राप्त कर रही है । सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद सेवांत हितलाभ के तौर पर भी उसने 545200/- की राशि प्राप्त की थी ।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुकम्पा पर नियुक्ति रिक्ति की 5% की सीमा में इस निमित्त उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध की जाती है ।

उपर्युक्त के आलोक में श्री Y द्वारा विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर अधिकारियों की समिति द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया परंतु पात्रता न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया ।

अधोहस्ताक्षरी ने ओ.ए. संख्या शून्य/2007 के आदेश के अनुपालन में मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । उपर्युक्त स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को उनको पूर्व में प्रेषित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता । अत: अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

हस्ता.

र.ले.प्रधान नियंत्रक

प्रश्नपत्र-VIII (अप्रैल, 2009)

उत्तर -3 – परिपत्र

सं. - ....
रक्षा लेखा नियंत्रक,
क ख ग
दिनांक - ....

सेवा में,
सभी अनुभाग प्रभारी

विषय:-उपस्थिति में समय पाबंदी ।
* * *

हाल में यह देखा गया है कि इस कार्यालय में सेवारत कर्मचारी उपस्थिति की सामान्य अवधि अर्थात् 9:00 बजे पूर्वाह्न से 5:30 बजे अपराह्न तक का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । यादृच्छिक जाँच से पता चलता है कि सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी भी पूर्वाह्न में विलम्ब से आ रहे हैं तथा समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं । यह कार्यालय नियमावली भाग-I जिसके अनुसार संगठन के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि कार्यालयावधि में वे न सिर्फ कार्यालय में रहें बल्कि अपनी सीट पर कार्यरत रहें, के प्रावधानों का उल्लंघन है । इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन काल अर्थात् 13:30 बजे से 14:00 बजे का भी कठोरता से पालन नहीं कर रहे है । इसे चिंताजनक माना गया है ।

अत: यह आदेश दिया जाता है कि पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी कार्यालय समयावधि का उचित तरीके से पालन करें । साथ ही साथ यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी ईमानदारी से कार्यालय समयावधि का पालन करें ।

इस परिपत्र की विषयवस्तु से सभी को अवगत करवा दिया जाय । इसका उल्लंघन करने पर उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

क ख ग
र.ले. उप नियंत्रक(प्रशा.)

प्रश्नपत्र-VIII (अप्रैल, 2009)

उत्तर - 4

कार्यालय टिप्पणी

सं. - ....
रक्षा लेखा नियंत्रक
स्थान – कखग
दिनांक - ....

विषय:-एल.टी.ई. के आधार पर फर्नीचर की खरीद हेतु पुनर्निविदा के लिए प्रस्ताव ।

संदर्भ:-अधीनस्थ कार्यालय क का दिनांक .... का पत्रांक ....

* * * * *

अधीनस्थ कार्यालय क से उनके संदर्भित पत्र द्वारा एल.टी.ई. के आधार पर फर्नीचर खरीद से संबंधित पुनर्निविदा के मामले में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

1. उन्होंने कहा है कि एक और विक्रेता का पता लगा है, जिसके समावेश से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी । उन्होंने नए विक्रेता से 110500 रु. का कोटेशन प्राप्त किया है ।
2. यह उल्लेख किया जाता है कि 110000 रु. की पूर्ति आदेश हेतु प्रस्ताव को इस कार्यालय की दिनांक .... की कार्यालय टिप्पणी के द्वारा अनुमोदित किया गया था । संशोधित प्रस्ताव को डी.पी.एम.-2006 (नीचे प्रस्तुत है) की कंडिका 4.18 के आलोक में जाँचा गया है और निम्नलिखित तथ्य पाये गये हैं -
   (क) डी.पी.एम 2006 की कंडिका 4.18 में पुनर्निविदा के लिए उल्लिखित परिस्थितियों में से कोई भी इसमें विद्यमान नहीं है ।
   (ख) इस मामले में कार्यालय 'क' अनावश्यक विलंब कर रहा है । आपूर्ति आदेश तत्काल प्रस्तुत किया जाना है ताकि न्यूनतम दर की वैधता समाप्त न हो जाय ।
   (ग) अनावश्यक पत्राचार से बचने के लिए कार्यालय 'क' को संबंधित विषय के नवीनतम आदेशों से अवगत होना चाहिए ।
3. इसलिए उपर्युक्त अनुदेशों के साथ उपर्युक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है ।

अनुभाग अधिकारी(ले.)

लेखा अधिकारी
रक्षा लेखा उप नियंत्रक
रक्षा लेखा नियंत्रक

उत्तर – 5

परिपत्र

सं. - ....
वित्त एवं लेखा नियंत्रक-कार्यालय(निर्माणी)
स्थान – अ
दिनांक - ....

सेवा में,
लेखा कार्यालय
क ख ग

विषय:-यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों की लेखापरीक्षा ।

संदर्भ:-आपका दिनांक .... का पत्रांक ....

* * * * *

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत प्राप्त यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दावे से संबंधित मामले की जाँच की गई हैं ।

यह कहना है कि प्र.ले.नि.(निर्माणी) द्वारा उनके दिनांक 03.12.2008 के परिपत्र सं. टी./सी.01/LX के तहत सभी लेखा कार्यालयों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों की लेखापरीक्षा पर जारी किया गया स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट है । अस्थायी ड्यूटी में सरकारी कर्मचारी द्वारा किये गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर निर्धारित सीमा के भीतर स्वीकार किया जाना है । यात्रा के दौरान अब सरकारी कर्मचारी को दैनिक भत्ता वित्तीय रूप में स्वीकार नहीं है । इसलिए पुराने दैनिक भत्ता की दर प्रचलित नहीं है ।

आगे यह भी कहना है कि सरकार ने उन लोगों को कोई भी छूट/ढील नहीं दी हैं जो इस नियम से अवगत नहीं हैं इसलिए अनाधिकृत दावों को स्वीकार करने के लिए इस नियम की अज्ञानता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

वि. एवं ले.नि.(निर्माणी) ने देखा है ।

वि.एवं ले.उ.नि.(निर्माणी)

प्रश्नपत्र-VIII (अप्रैल, 2009)

उत्तर – 6

परिपत्र

सं. - ....
रक्षा लेखा नियंत्रक-कार्यालय
स्थान – अ
दिनांक - ....

सेवा में,

श्री ....
प्रभारी र.ले.उ.नि./र.ले.स.नि.
लेखा कार्यालय
स्थान

विषय:-प्रशिक्षण गतिविधियां ।

दिनांक .... को आयोजित पिछली नि.प्र.स.(नियंत्रक प्रशिक्षण समिति) की बैठक जिसमें अपने अधिकांश कार्यालय प्रमुख भी उपस्थित थे, में यह महसूस किया गया कि हमारे संगठन में प्रशिक्षण गतिविधियाँ वांछित स्तर की नहीं हैं । अक्सर यह दृष्टांत सामने आया है कि अन्तिम क्षण में कार्यालय प्रमुखों द्वारा नामांकन रद्द करने की अनुशंसा की गई है जो प्रशिक्षण स्लॉट का अपव्यय है । केवल आंतरिक प्रशिक्षण में ही नहीं बल्कि पिछले आर.ए.सी. बैठक में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षण के मामले में भी ऐसी ही जानकारी दी गई है ।

प्रशिक्षण में एक ही प्रत्याशी के नामांकन की पुनरावृति भी चिंता का विषय हैं । हमारे प्रशिक्षण और विकास नीति का उद्देश्य यह नहीं हैं कि कुछ को प्रशिक्षण दिया जाय और दूसरों को उपेक्षित रखा जाय । यदि हम, 'सीखता हुआ संगठन' (लर्निंग आरगेनाइजेशन) के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं तो अवास्तविक नहीं (जो मामला वर्तमान में प्रतीत हो रहा हैं), वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

सी.टी.सी. बैठक के दौरान विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सहभागियों द्वारा उपलब्ध करवाये गए कुछ प्रशिक्षण प्रतिपुष्टि (फीडबैक) की भी समीक्षा की गयी । जिस गैरजिम्मेदार तरीके से सहभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्रदान किया गया है, वह दर्शाता हैं कि प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा हैं ।

ऐसा महसूस होता है कि हमारे संगठन द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य को अभी भी नहीं समझा गया है । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता, कार्य निष्पादन और तरीका सामान्य रूप से पिछले कुछ दशकों से सवालों के घेरे में हैं । हमें सरकारी क्षेत्र के रूप में विभिन्न सुधारों द्वारा तथा स्वयं को समय के साथ बदलते हुए साबित करना है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानव संसाधन के विकास के लिए प्रशिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में से एक है जिसके द्वारा बदलते कार्य वातावरण तथा ग्राहकों की जरूरत के साथ हम कदमताल कर सकते हैं । प्रशिक्षण कर्मचारियों और अधिकारियों के कौशल को तीक्ष्ण करता है जिससे वे दक्षता और प्रवीणता से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें ।

इसलिए अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों की नामांकन प्रणाली को कारगर बनाया जाय ताकि इस विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए किये गए पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके । कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण के महत्व की अनुभूति करवाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करें । यदि प्रशिक्षण के लिए किसी नामांकन को रद्द करने की आवश्यकता है तो ऐसा किसी अन्य को नामित करते हुए सही समय पर किया जाना चाहिए ताकि स्लॉट बर्बाद न हो । विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु नामांकित प्रत्याशियों का सही रिकार्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन कर्मचारियों की पुनरावृति को रोका जा सके । प्रशिक्षण का लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए ।

आप के द्वारा उपर्युक्त विषय पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय और की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जाय ।

....

रक्षा लेखा नियंत्रक

(8)

प्रश्नपत्र-VIII (नवम्बर, 2008)

उत्तर - 1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में लेखापरीक्षा की प्रकृति में परिवर्तन की आवश्यकता

सार बिंदु

1. लोक व्यय की वृद्धि ने लेखा-परीक्षा की प्रकृति एवं लेखा परीक्षकों की भूमिका को पारंपरिक से कार्यकुशल लेखापरीक्षा में परिवर्तित कर दिया । पारंपरिक लेखा-परीक्षा की अपर्याप्तता के कारण कार्यकुशल लेखा-परीक्षा की नई अवधारणा की उत्पत्ति हुई ।
2. सरकारी कम्पनियों में लेखा-परीक्षा की प्रचलित व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए अध्ययन दलों का गठन किया जाता है ।
3. कम्पनी अधिनियम के तहत समव्यावसायिक लेखा-परीक्षकों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों को मानना पड़ता है एवं लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र के साथ-साथ विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना पड़ता है ।
4. इन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के अलावा, सी एंड ए जी वाणिज्य लेखा-परीक्षा महानिदेशक के माध्यम से कार्यकुशल लेखा-परीक्षा कर सकती है ।
5. कार्यकुशल लेखा-परीक्षा का मूल लक्ष्य यह मूल्य निर्णय करना है कि विविध कार्यक्रमों का निष्पादन एवं संचालन किफायती है और वे वांछित परिणाम दे रहे हैं अथवा नहीं ।
6. कार्यकुशल लेखा-परीक्षा प्रणाली की परीक्षा के दौरान, प्रचलित लेखा-परीक्षा-प्रणाली के कतिपय मूल तत्वों की निंदा की गई एवं सी एंड ए जी लेखा-परीक्षा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया । समव्यवसायिक लेखापरीक्षकों की आवश्यकता को रेखांकित करते समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका को कम करने की जरूरत नहीं है ।
7. जिस अध्ययन दल ने हिंदुस्तान स्टील लि. के रिपोर्ट की समीक्षा की, ने सी एंड ए जी के लेखा-परीक्षा को काफी हद तक व्यापक बताया ।
8. लेखा-परीक्षा की फ्रेंच प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया एवं कार्यकुशल लेखा-परीक्षा करने तथा समव्यावसायिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य को पुन: किए जाने से बचने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया विकसित करने के लिए विविध बोर्ड नियुक्त किए जाएं । इस वैकल्पिक प्रणाली की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से सी एंड ए जी की तुलना में इसकी भूमिका, क्षमता एवं प्रकार्य को निर्धारित करते हुए किया जाना चाहिए ।

सार लेख

लोक व्यय के परिमाण एवं विविधता में वृद्धि के साथ सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र तथा विषय के विस्तार की आवश्यकता है । लोग संगठनों की कार्यकुशलता एवं कम व्यय में मनोनुकूल परिणाम में रूचि रखते हैं । इसके लिए कार्यकुशल-लेखा-परीक्षा, पारंपरिक लेखा-परीक्षा से बेहतर साधन साबित हो सकता है ।

उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी कंपनियों के वर्तमान लेखा-परीक्षा व्यवस्था की जाँच एवं उपयुक्त परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए अध्ययन दलों का गठन किया गया ।

कंपनी एक्ट 1956 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा पेशेवर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है । सांविधिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनके द्वारा विशेष पहलुओं की जाँच हेतु निर्देश जारी करेगा । सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के अलावे विशेष प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा । कार्यकुशल लेखापरीक्षा कंपनी एक्ट के तहत होना आवश्यक नहीं है परंतु यह, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए प्राथमिकता होगी जो इसे वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक द्वारा संपन्न करवाते हैं ।

कार्यकुशल लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या तकनीकी प्राक्कलन, विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए हैं एवं समय अनुसूची के साथ उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं तथा अकुशल योजना एवं समन्वय की कमी से योजना के कार्यान्वयन में गंभीर विलम्ब तो नहीं हुआ है तथा समय एवं व्यय तो नहीं बढ़ा है तथा कार्य में रूकावट तो नहीं आई है । यह भी देखा जाना है कि कार्यक्रमों के वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं ।

इस अध्ययन दल ने प्रत्येक वर्ष के अन्त में लेखापरीक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता निर्धारण का प्रयास किया । इस प्रयास में कई बिन्दुओं पर वर्तमान लेखापरीक्षा व्यवस्थाओं की आलोचना की गई ।

(क) बाह्य लेखापरीक्षा की विविधता के कारण उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने में प्रबंधन के समय एवं प्रयास की बर्बादी होती है ।

(ख) निचले कर्मचारी अपरिणात्मक आपत्तियों करते हैं ।

(ग) यह अधिकार प्रत्यायोजनों में रोक द्वारा सतर्क दृष्टिकोण अपनाने वाले प्रबन्धकों के पहल को निरूत्साहित कर देता है ।

(घ) पारंपरिक लेखापरीक्षकों को प्रबंधन कार्यकुशलता के व्यवस्थित मूल्य निरूपण की आवश्यक विशेषज्ञता हासिल नहीं है ।

अध्ययन के दौरान कुछ आलोचकों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा बंद कर दिए जाने की सलाह दी । पेशेवर लेखापरीक्षकों की आवश्यकता को रेखांकित करते समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए अध्ययन दल ने पाया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा समुचित रूप से व्यापक है एवं कार्य प्रचालन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे हुए है । यह महसूस किया गया कि विभिन्न लेखापरीक्षकों द्वारा कार्य के दोहरेपन से बचने के लिए समुचित प्रक्रिया विकसित किए जाने की आवश्यकता है ।

अध्ययन दल ने दूसरे देशों की लेखापरीक्षा व्यवस्था की जाँच की एवं वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन के उपायों का सुझाव दिया । फ्रांस में, लेखा के सत्यापन हेतु एक कानून के तहत अर्द्ध न्यायिक अधिकार के साथ एक पृथक आयोग की स्थापना की गई है । इस आयोग में विभिन्न बोर्ड होंगे । उनमें से प्रत्येक लोक उद्यमों/उपक्रमों का न केवल पारंपरिक लेखापरीक्षा करें बल्कि कार्यकुशल लेखापरीक्षा भी करेंगे । इसने लेखापरीक्षा हेतु चार-पाँच लेखापरीक्षा बोर्ड के स्थापना की सलाह दी । इस बोर्ड में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के सदस्य एवं अंशकालिक विशेषज्ञ भी होंगे । यह बोर्ड अपर उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में संचालित होगा । वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा पारंपरिक लेखापरीक्षा जारी रहेगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ-साथ लोक सभा के अधिनियम के तहत इसकी भूमिका, अधिकार तथा संचालन को चिह्नित करते हुए गठित होनी चाहिए ।

उत्तर -2

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

.... पीठ

वर्ष 2008 का मूल आवेदन (O.A.) संख्या 102

आवेदक श्री .... ले.प.

बनाम

प्रतिवादी : रक्षा लेखा नियंत्रक ....

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं .... उम्र 46 वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (र.ले.नियंत्रक के रूप में कार्यरत) .... नई दिल्ली में रहता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ एवं सत्यभाव से प्रतिज्ञान करते हुए निवेदन करता हूँ कि -

1. इस कार्यालय में सेवारत श्री ...., ले.प. को दिनांक 10.11.08 से उच्च अधिकारी को गाली देने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर निलंबित किया गया है एवं कि उनकी उपस्थिति से कार्यालय की शांति बाधित होगी ।
2. कर्मचारी को इस कार्यालय की दिनांक .... की पत्रांक .... द्वारा उन पर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप के विवरण के साथ एक आरोप-पत्र हस्तगत कराया गया है तथा उन्हें निर्देश दिया गया है कि आरोप-पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वे अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर दें । परंतु कर्मचारी समय सीमा के अन्दर उत्तर देने में असफल रहे । अनुशासनिक प्राधिकारी ने कर्मचारी को दिनांक 10.11.08 से निलंबित करते हुए CCS(CCA) नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया है ।
3. यह निवेदन किया जाता है कि कार्यालय द्वारा CCS(CCA) नियमावली 1965 में अपेक्षित सभी आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है । अत: मूल आवेदन (OA) को खारिज किया जाय तथा विभाग को आगे की कार्रवाई की अनुमति दी जाय ।

पैरा 1 से 3 तक दिए गए तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है एवं पैरा .... शून्य ...... के तथ्य मेरे द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों पर आधारित है तथा इनके सत्य होने का मुझे विश्वास है । (जहाँ संभव हो जानकारियों के स्रोत एवं आधार का एवं उन पर विश्वास के कारणों का उल्लेख करें)

-ह.-

स्थान : .... अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

दिनांक : .11.08 साफ अक्षरों में नाम

पृष्ठ सं. .... पर की गई
परिशुद्धियों की संख्या : ....

पहचानकर्ता
....

दिनांक .... माह .... वर्ष .... को मेरे समक्ष सत्यभाव से प्रतिज्ञान किया गया ।

-ह.-

हस्ताक्षर

(अनुप्रमाणित करने वाले प्राधिकारी का मुहर सहित नाम एवं पद)

उत्तर - 3

र.ले.नियंत्रक कृपया जारी किए जाने से पूर्व अवलोकन करें । अपर नियंत्रक

महत्वपूर्ण परिपत्र
सं.-एफ.ए./10426/मह.परि.
कार्यालय ....
दिनांक : ....

सेवा में,

मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय:- कार्यालय नियम पुस्तक भाग-II जिल्द-I के पैरा-182 डिफेंस एकाउन्टस कोड का पैरा-94 एवं आलम भाग-I के पैरा-91 की प्रक्रिया का अनुपालन – एम.आर.ओ. का समायोजन न होना तथा उनकी पावतियों न भेजा जाना ।

* * * * *

मुख्य कार्यालय में लेखापरीक्षा अनुभाग के ओ. एण्ड एम. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सैन्य प्राप्य आदेश (एम.आर.ओ.) के समायोजन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है एवं एम.आर.ओ. की पावतियाँ नहीं भेजी जा रही हैं । परिणामस्वरूप लेखा अनुभाग में बड़ी संख्या में एम.आर.ओ. बिना मिलान के रह जाते हैं । लेखापरीक्षा आपतियाँ, स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यालय के पास लंबित हैं एवं रक्षा लेखा नियंत्रक के लेखापरीक्षा अनुभाग से पावती न प्राप्त् होने के कारण वे सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि एम.आर.ओ. का समायोजन हुआ है अथवा नहीं । स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित भी कराया गया है कि र.ले.नियंत्रक कार्यालय से पावतियाँ नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में आपतियाँ लंबित पड़ी है ।

2. आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय नियम पुस्तक भाग-II जिल्द-I का पैरा 182(ध्वज-क), डिफेंस एकाउन्ट कोड का पैरा 94(ध्वज-ख) एवं (ध्वज-ग) का अवलोकन करें । कार्यालय नियम पुस्तक भाग-II जिल्द-I के पैरा 182 एवं डिफेंस एकाउन्टस कोड के पैरा 94 (V) एवं (VI) के अनुसार जमाकर्ताओं द्वारा भेजी गई एम.आर.ओ. की मूल प्रतियाँ संबन्धित लेखापरीक्षा अनुभाग में प्राप्त की जायेंगी एवं उनके द्वारा उचंत शीर्षबैंक/ट्रेजरी में जमा को नामें करते हुए एवं संबन्धित सेवा शीर्ष/ए.जी. उचंत शीर्ष आदि में जमा करते हुए दैनिक आधार पर समायोजित किए जाएँगें । समायोजन के पश्चात् एम.आर.ओ. की मूल प्रतियाँ समायोजित एम.आर.ओ. विवरणी के साथ अलग-अलग बैंक/ट्रेजरी वार लेखा अनुभाग में प्रेषित कर दी जाएँगी ताकि लेखा अनुभाग एम.आर.ओ रजिस्टर के कॉलम 9 एवं 10 में एम.आर.ओ. की मूल प्रतियों के समायोजन के तथ्यों को दर्ज कर सके ।

3. आलम पार्ट-I के पैरा 91 के अनुसार यूनिटों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एम.आर.ओ. की कार्यालय प्रति(तृतीय प्रति) एवं पावती के साथ रक्षा लेखा नियंत्रक से सीधे उनके यहाँ प्राप्त की गई यूनिटों के अग्रसारण मेमों की तीसरी प्रति के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा किया जायेगा । रक्षा

लेखा नियंत्रक से यूनिट के अग्रसारण मेमों की तीसरी प्रति प्राप्त न होने की स्थिति में स्था.लेखा परीक्षा कार्यालय पावती की दूसरी प्रति (यूनिट की) के आधार पर लेखापरीक्षा करेगा । स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालय संबंधित आपत्ति विवरण संचिका द्वारा रक्षा लेखा नियंत्रक से पुष्टि की प्राप्ति पर नजर रखेगा ।

अत: सभी लेखापरीक्षा अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को एम.आर.ओ की मूल प्रति प्राप्त होने पर उनके शीघ्र समायोजन एवं स्था. लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा आवश्यक सत्यापन हेतु यूनिटों को निरपवाद रूप से पावती भेजने का आदेश दिया जाता है । यूनिटों को सलाह दिया जाय कि अग्रसारण पत्र की तीन प्रतियों के साथ एम.आर.ओ. प्रेषित करें । द्वितीय प्रति यूनिट को एवं तृतीय प्रति स्था. लेखा परीक्षा कार्यालय को लौटा दी जाय । उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाय ।

कृपया पावती दें ।

रक्षा लेखा अपर नियंत्रक

उत्तर -4 – <u>रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय</u>

विषय:-छुट्टी यात्रा रियायत में उत्तर पूर्व क्षेत्र की हवाई यात्रा से संबंधित अपेक्षित स्पष्टीकरण

संदर्भ:-भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02.05.08 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/4/2007-स्थापना(ए.)

* * * * *

कृपया दिनांक 02.05.08 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/4/2007-स्थापना(ए.) का अवलोकन करें जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत में उत्तर पूर्व क्षेत्र की हवाई यात्रा की छूट प्रदान की गई है ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि इसमें कुछ बिन्दु स्पष्ट नहीं हैं जिससे लेखापरीक्षा में दुविधा उत्पन्न होती है । इस कार्यालय के अनुसार संदेह के निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच तथा उनपर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना अपेक्षित है ।

(क) कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कर्मचारीगण अपने तैनाती के स्टेशन अथवा निकटतम हवाई अड्डे से उत्तर पूर्व क्षेत्र के नगर अथवा निकटतम हवाई अड्डे तक की हवाई यात्रा के हकदार हैं तथापि उपर्युक्त प्रावधान में यह स्पष्ट नहीं है कि समूह 'ख' के अराजपत्रित कर्मचारी भी हकदार हैं अथवा नहीं ।

(ख) बागडोगरा उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित नहीं है तथा यह सिक्किम जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, का निकटतम हवाई अड्डा है । क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र की यात्रा में बागडोगरा तक की हवाई यात्रा अनुज्ञेय है?

(ग) कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत के एक खंड(ब्लॉक) को उत्तर पूर्व क्षेत्र की छुट्टी यात्रा रियायत में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी । तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई सरकार कर्मचारी जिसने:-

(i) पहले ही अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत ले लिया है या जिनका मुख्यालय तथा गृह नगर एक है तथा वही है या

(ii) जिसने चालू वर्ष खंड (Block) में एक गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत ले लिया है, उपर्युक्त लाभ के लिए हकदार है?

3. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से अनुरोध है कि कृपया मामले की जाँच कर आवश्यक व्याख्यात्मक आदेश यथाशीघ्र जारी करवाने की कृपा करें ।

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
(लेखा परीक्षा)

उत्तर -5 –

अर्धशासकीय पत्र का मसौदा

XXXX
नियंत्रक

अ.शा.सं. र.ले.नि./ XXX/ XXX
रक्षा लेखा नियंत्रक का कार्यालय,
XXXX
दिनांक :- ....

प्रिय,

मैं यह पत्र विक्रेताओं को उनकी पूर्तियों के लिए अग्रिम भुगतान के विरूद्ध प्राप्त बैंक गारंटी बॉण्ड के संबंध में लिख रहा हूँ । कृपया दिनांक .... के विपत्र संख्या .... (ध्वज 'क') के विरूद्ध प्रस्तुत बैंक गारंटी बॉण्ड का अवलोकन करें ।

2. विपत्र के साथ संलग्न .... बैंक द्वारा निर्गत .... रुपये के बैंक गारंटी बॉण्ड सं. XX/XXX की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि यह लेखा-परीक्षा में अमान्य है क्योंकि यह ऐसे बैंक द्वारा जारी किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक(ध्वज 'ख') द्वारा अनुमोदित नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंकों की सूची के अवलोकन से पता चलता है । उक्त सीमा तक यह बैंक गारंटी बॉण्ड जाली है तथा यह असली नहीं है । आपके द्वारा इस पहलू का सत्यापन किया जाना चाहिए था । यदि निर्गमकर्ता बैंक सरकार के साथ ऐसे कार्य के लिए प्राधिकृत नहीं है तो असली बैंक गारंटी बॉण्ड का प्रस्तुतीकरण मात्र काफी नहीं है ।

3. इस संबंध में कृपया केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 31.12.2007 (ध्वज 'ग') के द्वारा जारी अनुदेशों की संलग्न प्रति का अवलोकन करें ।

4. अत: यह अनुरोध है कि बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के संगत केन्द्रीय सर्तकता आयोग के अनुदेशों के अनुसार बैंक गारंटियों को स्वीकार करने की क्रियाविधि विकसित करें । सुझाव है कि आपके संगठन के द्वारा स्वीकृति से पूर्व सभी बैंक गारंटी बॉण्डों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाय । इसके लिए आप किसी अधिकारी को विशिष्ट रूप से नामोद्दिष्ट करें जो बैंक गारंटी बॉण्डों के सत्यापन एवं उनपर सूक्ष्मता से अनुवीक्षण के लिए जिम्मेदार हो ।

5. इस संबंध में पुष्टि की एक पंक्ति की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूँ ।

सहित

भवदीय

अनुलग्नक – I

आफिसर कमांडिंग
श्री XXXX
कार्यालय प्रधान
संगठन Z

उत्तर – 6

<u>अनुमोदन के लिए मसौदा</u>

सं. आंतरिक ले.प./12456/निरीक्षण
रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, ...
दिनांक - ....

सेवा में,

श्री क ख ग
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक प्रभारी,
....
....

विषय:-संगठन एवं पद्धति(O&M) द्वारा निरीक्षण से संबंधित वर्ष 2006 के निरीक्षण प्रतिवेदन के जवाब का प्रस्तुतीकरण ।

दिनांक .... को आयोजित मासिक सम्मेलन में मुख्य कार्यालय के संगठन एवं पद्धति अनुभाग ने आपके कार्यालय के कार्य की स्थिति की जानकारी दी । सूचना दी गई है कि कई क्षेत्रों में कार्य बकाया है । यह भी सूचित किया गया है कि पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदनों के जवाब संगठन एवं पद्धति कक्ष द्वारा जारी कई अनुस्मारकों (ध्वज 'क') के बावजूद प्रतीक्षित हैं । इस कार्यालय के दिनांक .... का समसंख्यक पत्र देखें । इसे अच्छा नहीं माना जा सकता है तथा यह मुख्य कार्यालय के लिए चिंता की बात है । जैसा कि आपको ज्ञात है, अधीनस्थ कार्यालय के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई मुख्य कार्यालय का मूल आधारों में एक है । यदि समय पर उपचारी कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे कार्यालय प्रधान की दुर्बलता परिलक्षित होती है ।

2. आज तक आपके कार्यालय के विरूद्ध 2006 की 26 आपत्तियां (ध्वज ख) एवं 2007 की 12 आपत्तियां (ध्वज ग) बकाया हैं । कुछ़ गंभीर अनियमितताएं लगातर बनी हुई हैं । यह पूर्व के लेखापरीक्षा/निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण हुआ है । इससे संगठन एवं पद्धति अनुभाग द्वारा किये गए आपके कार्यालय के निरीक्षण का उद्देश्य निष्फल होता है । आपको निदेश दिया जाता है कि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण के लिए कार्रवाई करें । आप समय सीमा स्वयं निर्धारित करें तथा मुख्य कार्यालय को सूचित करें जिसका अनुवीक्षण सख्ती से किया जाएगा । आपकी समय सीमा तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए । किसी भी संदेह अथवा स्पष्टीकरण के लिए आप मुख्य कार्यालय से संपर्क करें ।

कृपया पावती दें ।

र. ले. नियंत्रक